

412 98

माननीय रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल) ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

1723 17243 P B 216

रिव्यु प्रकरण क्र. / 16
प्रस्तुति दिनांक / 10 / 2016

- 1 सवितादेवी पति तुलसीराम रघुवंशी
 - 2 तुलसीराम रघुवंशी पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — प्रार्थी / कंता
 - 1 ओमप्रकाश पिता मांगीलाल
 - 2 संतोष पिता मांगीलाल
 - 3 मुकेश पिता मांगीलाल
 - 4 श्रीमती कमलाबाई पति मांगीलाल
 - 5 राजेश पिता स्व.श्री सदाशिव
 - 6 दिनेश पिता स्व.श्री सदाशिव
 - 7 अशोक पिता स्व.श्री सदाशिव
 - 8 मांगीबाई पति स्व.श्री सदाशिव
 - 9 रमेश पिता रामप्रसाद
 - 10 राधेश्याम पिता रामप्रसाद
 - 11 ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद
- सभी निवासी ग्राम खजरान तहसील व जिला इंदौर म.प्र.
तर्फ आम मुख्यतयार तुलसीराम पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — विकेतापक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ~~अध्यक्ष~~ भोण्डे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.10.16
को प्रस्तुत।

778/26-10-2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक महोदय
इंदौर -3, इन्दौर म.प्र.

—प्रत्यर्थी

**पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 56 (4) भारतीय मुद्राक अधिनियम
सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता**

प्रार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि :-

प्रार्थी द्वारा वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका श्रीमान् राजस्व मण्डल
ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी श्री मनोज गोयल साहब.) द्वारा अपील प्रकरण
क्रमांक 888-पीबीआर/2015 मे पारित आदेश दिनांक 08-06-2016, जिसके
द्वारा विद्ववान अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई होकर
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई होने से व्यथित
होकर वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है
कि:-


(Signature)

रिज 7243 PBR/16 अंश

16.5.2017

आवेदक की ओर से श्री
अक्षय मोडे आयोगाध्यक्ष उपाध्यक्ष
उनके द्वारा बनाया गया कि उनके
द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क असा का
की गई है। असा पुनर्निर्माण
निर्देशक हो गया है। आवेदक
के आयोगाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लक्ष्य
के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्माण निर्देशक
होने से निरस्त किया जा रहा है।




अध्यक्ष